

हत्या जैसे जघन्य अपराध की घटित घटना का अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले

अन्तर्राज्यीय 02 अभियुक्त गिरफ्तार-- दिनांक 12.09.2020 को वादी श्री उमेश पासवान पुत्र श्री बालेश्वर पासवान निवासी लाजपत नगर नई दिल्ली स्थाई पता ग्राम पुरनी डीह पोस्ट कोरी डीह थाना सरिया जिला गिरी डीह झारखण्ड ने थाने पर आकर लिखित सूचना दी कि वादी के भाई सिकन्दर पासवान की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिर पर वार करके हत्या कर दी है, जिसपर मुकदमा अपराध संख्या 993/2020 धारा 302भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक साहिबाबाद महोदय के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। पुलिस के लिये उक्त घटना में हत्या का खुलासा चुनौतीपूर्ण था।

दिनांक 17.09.2020 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्रीमान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के निर्देशानुसार सीसीटीवी फुटेज व आटो की निम्नाख्त कर मजबूत मुखबिर तंत्र के आधार पर नाग गेट तिराहे पर चैकिंग के दौरान हिण्डन एयरफोर्स की तरफ से 02 मोटरसाईकिल पर सवार 04 लोग आते दिखाई दिये, जिनको चैकिंग हेतु हाथ व टार्च की रोशनी से रोकने का इशारा किया गया तो दोनों बाईक सवार द्वारा अपनी बाईकों को हिण्डन नदी की ओर लेकर भागने लगे। शक बदमाश होने पर मुझ एसएचओ द्वारा मय टीम के दोनों मोटरसाईकिलों का पीछा किया गया तो हिण्डन नदी की ओर सडक से लगभग 50-60 कदम की दूरी पर एक मोटरसाईकिल फिसल कर गिर गई, तथा दूसरी मोटरसाईकिल सवार अपनी मोटरसाईकिल को लेकर करहेडा गाँव की गलियों में भागने में सफल रहा। बरामद मोटरसाईकिल पर सवार 02 व्यक्तियों से नामपता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम आशीष उर्फ आशु हक्ला पुत्र सतपाल शर्मा निवासी 443 जवाहर पार्क लोनी बॉर्डर गाजियाबाद एवं दूसरे ने अपना नाम सोनू गंजा उर्फ सोहनपाल पुत्र मदनपाल निवासी बी-154जी गली नं0 08 अम्बेडकर विहार जौहरीपुर करावल नगर दिल्ली बताया। जामा तलाशी से अभियुक्त आशीष उर्फ आशु हक्ला की तलाशी में एक अदद नाजायज पिस्टल .32 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर एवं मोबाइल 1 प्लस रंग काला, सिकन्दर पासवान का आधार कार्ड/पैन कार्ड, कार शिफ्ट नं0 डीएल-01जैड0डी0-0750 की रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा कागजात बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण :-

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये दोनों अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 11/12.09.2020 की रात्रि हम लोग अपने भागे हुए साथियों रंजीत पुत्र कालीचरन निवासी इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर व अंशुल पुत्र विनेश कुमार निवासी नरौरा बुलन्दशहर जो अब इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर में रहता है, के साथ दिल्ली धौला कुँआ गये थे वहाँ से हमने एक कार लूटने का प्लान बनाया और एक ओला कार चालक से बिना बुक किये आनन्द बिहार तक चलने के लिये कहा तो ओला कार चालके 200 रूपये प्रति सवारी के हिसाब से चलने के लिये तैयार हो गया। जैसे हम लोग बारापुला फ्लाईओवर पर आये तो हमने पेशाब करने के बहाने गाडी को रूकवा लिया और कार ड्राईवर को अगली सीट से पीछे खींच लिया। विरोध करने पर ड्राईवर के साथ मारपीट की इसके बाद भी ड्राईवर विरोध करता रहा तो मैंने इसी पिस्टल से उसके सिर में वार किया जिससे ड्राईवर मर गया। ड्राईवर के मरने के बाद हम लोग पकड़े जाने के डर से घबरा

गये थे और सीधे अक्षरधाम होते हुये प्रतापविहार फ्लाईओवर से मोहननगर की तरफ आ रहे थे तभी हमें पुलिस की गाडी का सायरन सुनाई दिया, जिसके बाद हम चारों गाडी और ड्राईवर को मोहननगर चौराहे के पास छोडकर ऑटो से अपने घर वापस चले गये थे। पुलिस द्वारा उक्त आटो की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर निनाख्त करते हुए तथा मजबूत मुखबिर तंत्र के आधार पर उपरोक्त घटना का अनावरण कर अभिगणों को गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका : -

उपरोक्त प्रकरण में पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि ओला टैक्सी ड्राईवरों को ज्यादा पैसे देने का लालच देकर बिना बुक किये एकान्त स्थान पर ले जाकर पिस्टल दिखाकर पैसा, मोबाइल, गाडी लूट लेते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- आशीष उर्फ आशु पुत्र सतपाल शर्मा निवासी I/443 जवाहर पार्क लोनी बॉर्डर गाजियाबाद।
- सोहनपाल पुत्र मदनपाल निवासी बी-154जी गली नं0 08 अम्बेडकर विहार जौहरीपुर करावल नगर दिल्ली

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास :-

- आशीष उर्फ आशु पुत्र सतपाल शर्मा निवासी I/443 जवाहर पार्क लोनी बॉर्डर गाजियाबाद।

1. मु0अ0सं0 549/05 धारा 300सीआरपीसी थाना लोनी
2. मु0अ0सं0 569/05 धारा 380/411 भादवि थाना लोनी
3. मु0अ0सं0 830/05 धारा 380/411भादवि थाना लोनी
4. मु0अ0सं0 970/05 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना लोनी
5. मु0अ0सं0 40/2007 धारा 20एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी
6. मु0अ0सं0 41/2007 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी
7. मु0अ0सं0 820/2007 धारा 20एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी
8. मु0अ0सं0 831/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट सैक्टर 20 नोएडा
9. मु0अ0सं0 1031/08 धारा 411/414 भादवि सैक्टर 20 नोएडा
10. मु0अ0सं0 273/08 धारा 379/411 भादवि भजनपुरा दिल्ली
11. मु0अ0सं0 130/08 धारा 379/411/414/420/34भादवि थाना करावल नगर दिल्ली
12. मु0अ0सं0 89/2009 धारा 379/411/34भादवि थाना ज्योतिनगर दिल्ली
13. मु0अ0सं0 322/2010 धारा 356/379/174ए/34भादवि ज्योतिनगर दिल्ली
14. मु0अ0सं0 112/2011 धारा 379/411भादवि शाहदरा दिल्ली
15. मु0अ0सं0 219/11 धारा 379/411/34भादवि थाना मॉडल टाउन दिल्ली
16. मु0अ0सं0 154/2011 धारा 394/411/34भादवि करावल नगर दिल्ली
17. मु0अ0सं0 76/2013 धारा 384/506/34भादवि थाना करावल नगर दिल्ली
18. मु0अ0सं0 108/13 धारा 394/397/34भादवि थाना करावल नगर दिल्ली
19. मु0अ0सं0 110/13 धारा 379/411/34भादवि थाना गोकुलपुर दिल्ली
20. मु0अ0सं0 106/13 धारा 363/366/376(2)जी भादवि व 5/6 पोस्को एक्ट थाना फर्स बाजार दिल्ली
21. मु0अ0सं0 54/2014 धारा 379/411 भादवि
22. मु0अ0सं0 3361/14 धारा 379/411/307भादवि थाना लोनी
23. मु0अ0सं0 2787/14 धारा 356/411भादवि थाना लोनी
24. मु0अ0सं0 2130/14 धारा 302/393भादवि थाना लोनी
25. मु0अ0सं0 3289/14 धारा 307भादवि थाना लोनी बॉर्डर
26. मु0अ0सं0 565/14 धारा 389/411/482भादवि

27. मु0अ0सं0 2790 / 14 धारा 411 / 414 / 420 / 467 / 468 / 471भादवि थाना लोनी बॉर्डर
28. मु0अ0सं0 20 / 2006 धारा 2 / 3 गैगस्टर एक्ट थाना लोनी
29. मु0अ0सं0 143 / 2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बॉर्डर
30. मु0अ0सं0 511 / 2016 धारा 18 / 20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बॉर्डर
31. मु0अ0सं0 744 / 2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना टोनिका सिटी
32. मु0अ0सं0 547 / 2016 धारा 392 / 411 / 506भादवि थाना लोनी बॉर्डर
33. मु0अ0सं0 735 / 2016 धारा 392 / 411भादवि थाना टोनिका सिटी
34. मु0अ0सं0 743 / 2016 धारा 8 / 22 एनडीपीएस एक्ट थाना टोनिका सिटी
35. मु0अ0सं0 686 / 2017 धारा 2 / 3 गैगस्टर एक्ट थाना टोनिका सिटी
36. मु0अ0सं0 1457 / 2018 धारा 307 / 504भादवि थाना लोनी बॉर्डर
37. मु0अ0सं0 758 / 2019 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद
38. मु0अ0सं0 754 / 2019 धारा 307 / 34भादवि थाना लोनी बॉर्डर
39. मु0अ0सं0 993 / 2020 धारा 302भादवि थाना साहिबाबाद ।
40. मु0अ0सं0 / 2020 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद ।

➤ सोहनपाल पुत्र मदनपाल निवासी बी-154जी गली नं0 08 अम्बेडकर विहार जौहरीपुर करावल नगर दिल्ली

1. मु0अ0सं0 0606 / 2018 धारा 12 / 09 / 55जीएक्ट थाना करावल नगर दिल्ली
2. मु0अ0सं0 993 / 2020 धारा 302भादवि थाना साहिबाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

1. घटना में प्रयुक्त पिस्टल .32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .32बोर
2. एक अदद मोटर साईकिल नं0 यूपी-14ई0एफ0-1379
3. मृतक का मोबाइल वन प्लस



टाप टेन 15000 रू0 का ईनामिया गैगस्टर का वाँछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार- : थाना लिंकरोड

जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 17.09.2020 को समय 21:35 बजे थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा चन्द्रनगर चौराहे के पास चौकी क्षेत्र सूर्य नगर के पास से मुखविर की सूचना पर फरार चल रहे गैगस्टर 15000 रू0 का ईनामिया वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त शातिर किस्म का लूटेरा है, जो कि अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एनसीआर क्षेत्र में घूम घूम कर लूट / तस्करी की घटनाओं को अंजाम देता है । अभि0 उपरोक्त मु0अ0सं0 0141/2019 धारा 2/3 गैगस्टर थाना लिंक रोड़ में वर्ष 2019 मार्च माह से लगातार फरार चल रहा था । जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा 15000 रु0 का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिसके द्वारा अन्य कारित अपराधो/अपराधिक इतिहास व अपराधो मे संलिप्त अन्य साथियो के बारे मे गहनता से जाच व पूछताछ की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मौहम्मद मिया पुत्र रफीक निवासी श्रीराम कालोनी कच्ची कालोनी खजूरी खास दिल्ली मूल पता ग्राम भमुईया थाना कादर चौक जनपद बदायूं।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 0141/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लिंकरोड गाजियाबाद - (वांछित)
2. मु0अ0सं0 0674/2018 धारा 392/411 भादवि थाना लिंक रोड गा0बाद
(अन्य थानों से आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है)



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में हुई लूट का सफल अनावरण कर तीन अभियुक्तगणों को लूट में प्रयुक्त मो0सा0 व लूटे हुए 2400 रुपये नकद , एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो कारतूस 315 बोर व एक चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 14.09.2020 की रात्रि करीब 20.00 बजे अक्षय गर्ग पुत्र योगेश गर्ग नि0 मैन बाजार लोनी गा0बाद के साथ हुई बलरामनगर दिल्ली सहासनपुर कट से तीन बाईक सवारों द्वारा की गयी करीब 5000 रुपये से 7000 रुपये की लूट का सफल अनावरण कर दिनांक 17.09.2020 समय 23.30 बजे नसबन्दी तिराहा अम्बा मार्बल के सामने से तीन अभि0गणों (1) शराफत अंसारी उर्फ फरहान पुत्र जुल्फकार उर्फ बिट्टू निवासी बंगाली मस्जिद के पास इकबाल सभासद सेदूसरा मकान बुध नगर नसबन्दी कालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद (2)अनीस पुत्र संतार निवासी गली न0 2 युनूस की टाल के पास बुध नगर नसबन्दी कालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद (3) दीपक पाठक उर्फ मन्नु पुत्र श्री राकेश पाठक निवासी मकान न0 265 बुधनगर नसबन्दीकालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को लूट में प्रयुक्त मोटरसाईकिल नं0 DL5S AZ 9323 मय लूटे हुए 2400 रुपये नकद एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो कारतूस 315 बोर व एक चाकू नाजायज के गिरफ्तार किया गया। पूर्व में हुई लूट के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 818/2020 धारा 392 भादवि में पंजीकृत है।

अभियुक्त से कड़ाई से पूछने पर बताया कि साहब हमने दिनांक 14.09.2020 की रात में एक व्यक्ति को अकेला देखकर उससे बैग छीन लिया था जिसमें करीब 5000-7000 रुपये थे। हम सभी ने बराबर-बराबर पैसे बांट लिये थे। जो कि अब केवल 2400 रुपये ही बचे हैं। बाकी खर्च हो गये। साहब हम ऐसे ही तमंचे के बल पर लोगों को निशाना बनाकर पैसे, मोबाईल इत्यादि लूट लेते हैं। जिससे हमारा खर्च चल जाता है।

अपराध करने की तरीका - अभियुक्तगण द्वारा अवैध तमंचे व चाकू के बल पर आने जाने वाले लोगों के अन्दर भय पैदा कर उनके साथ लूटपाट करना।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

- (1) शराफत अंसारी उर्फ फरहान पुत्र जुल्फकार उर्फ बिटटू निवासी बंगाली मस्जिद के पास इकबाल सभासद से दूसरा मकान बुध नगर नसबन्दी कालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
- (2) अनीस पुत्र संतार निवासी गली न0 2 युनूस की टाल के पास बुध नगर नसबन्दी कालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
- (3) दीपक पाठक उर्फ मन्नू पुत्र श्री राकेश पाठक निवासी मकान न0 265 बुधनगर नसबन्दीकालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

अभियुक्त शराफत अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

- (1) मु0अ0सं0 818/20 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद
- (2) मु0अ0सं0 824/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर

अभियुक्त अनीस के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

- (1) मु0अ0सं0 83/2020 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद
- (2) मु0अ0सं0 106/2020 धारा 4/25 ए.एक्ट थाना लोनी गा0बाद
- (3) मु0अ0सं0 107/20 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी गा0बाद
- (4) मु0अ0सं0 825/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर
- (5) मु0अ0सं0 818/20 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

अभियुक्त दीपक पाठक उर्फ मन्नू के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

- (1) मु0अ0सं0 818/20 धारा 392/411 भादवि थाना लोनी बोर्डर गा0बाद

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज
2. एक अदद चाकू नाजायज
3. 2400 रुपये नकद सम्बन्धित मु0अ0सं0 818/20
4. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल नम्बर DL5S AZ 9323



थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 240 नशीली गोलियां अल्प्रालोलम बरामद।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद व आस-पास के जनपदों में (मादक पदार्थ) अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री अभिषेक वर्मा के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 17.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर मरकज मस्जिद रोड के पास से चैकिंग के दौरान जनपद में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त एक अभियुक्त वसीम उर्फ हकला पुत्र हसमत अली को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 240 नशीली गोलिया अल्प्रालोलम नाजायज को बरामद कर गिरफ्तार किया गया है पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त नशे के आदि लोगो को नशीली गोलिया बेचता ह

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त न पूछताछ में बताया कि वह गाजियाबाद रेलवे स्टेशन एवं गऊशाला फाटक पर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करने एवं अवैध लाभ तथा अपने निजी स्वार्थ के लिये अवैध नशीली गोलियां अल्प्राजोलम को नशे के आदी लोगो को बेचता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. वसीम उर्फ हकला पुत्र हसमत अली नि० बुन्दू के होटल के सामने गलो कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 628/2020 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद बनाम वसीम उर्फ हकला।
2. मु०अ०सं० 416/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद बनाम वसीम उर्फ हकला।
3. मु०अ०सं० 417/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद बनाम वसीम उर्फ हकला।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० संजीव कुमार
2. का० संजय कुमार
3. का० विपिन कुमार

बरामदगी का विवरण:-

1. 240 नशीली गोलिया अल्प्राजोल, अभियुक्त वसीम उर्फ हकला के कब्जे से।



थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद की पुलिस टीम द्वारा ताश के पत्तो से हार-जीत की बाजी लगाकर जुआँ खेलने वाले 4 नफर अभियुक्त, कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 1420 रूपये (माल फड़, जामा तलाशी) बरामद - थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा ताश के पत्तो

से हारजीत की बाजी लगाकर जुआँ खेलते हुए 4 अभियुक्तो को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की।

दिनांक 18.09.2019 को गश्त व देखरेख शान्ति व्यवस्था के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा अम्बेडकर कालोनी के सामने रूस्तम के होटल के पीछे खाली मैदान से 4 अभियुक्तगणो को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की। जिसके सम्बंध मे थाना हाजा पर मु०अ०सं० 366/20 धारा 13 जुआँ अधि० पंजीकृत गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अवध यादव पुत्र बच्चे यादव नि० कल्याण पुरा थाना कल्याणपुर जिला मोतहारी बिहार हालपता जय माँ वैष्णो स्टोर एचपी गैस प्लाट के पास लोनी रोड थाना टीलामोड़ गा०बाद
2. बाबू पुत्र श्री चन्देक्षा सिंह नि० पटदोरा थाना बाजपट्टी जिला सीतामढ़ी बिहार हालपता एचपी गैस प्लाट के पास थाना टीलामोड़ गा०बाद

3. ओम प्रकाश पुत्र गोपी शाह नि0 पटदौरा थाना बाजपटी जिला सीतामढ़ बिहार हालपता एचपी गैस प्लाट के पास थाना टीलामोड गा0बाद
4. लल्लन मंडल पुत्र कारी मंडल नि0 दुराहड़ी थाना बढियार जिला सीतामढ़ी बिहार हालपता एचपी गैस प्लांट के पास थाना टीलामोड गा0बाद

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1.मु0अ0स0 366/20 धारा 13 जुआ अधि0



(एनसीआर व दिल्ली क्षेत्र में वाहन चोरी करके बेचने वाले गिरोह के 02 शातिर वाहन चोर

गिरफ्तार , चोरी की गयी 01 अदद स्कूटी बरामद - थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दिनांक

16.09.2020 को थाना खोडा के क्षेत्र इतवार पुस्ता से शनि बाजार की ओर सामने से वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण रंजीत व अनिल यादव को दिल्ली से चोरी की गयी स्कूटी न0 DL8SAV6813 चे0न0 MB4JC448KB7068242 इंजन न0 JC44E5067510 सहित गिरफ्तार किया गया। जिपनैट पर चेक करने पर FIR NO- 013117E पुलिस स्टेशन एम0वी0थेफ्ट क्राइम ब्रांच दिल्ली दिनांक 17/6/2020 को चोरी होना अंकित है

विस्तृत पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग एनसीआर व दिल्ली क्षेत्र में मौका देखकर दो पहिया वाहन चोरी करते है तथा चोरी किये गये वाहनो को बेच देते है। यह स्कूटी हम लोगो ने तीन माह पहले दिल्ली से चोरी की थी। अभियुक्तगण शातिर किस्म के वाहन चोर है जिनके आपराधिक इतिहास व अन्य घटित घटनाओ के सम्बन्ध में गहनता से जानकारी की जा रही है। व अभि0गण के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में डीसीआरबी से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

- 1.रंजीत s/o गणेश मिश्रा नि0 गली न0 4 नवनीतविहार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गा0बाद
- 2.अनिल यादवs/o कैलाश यादव नि0 फूल मण्डी के पीछे गाजीपुर थाना गाजीपुर दिल्ली

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्तगण उपरोक्त शातिर किस्म के दो पहिया वाहन चोर है जो मिलकर एनसीआर व दिल्ली क्षेत्र में घूम फिरकर रैकी कर दो पहिया वाहनो को अपना निशाना बनाते है तथा मौका देखकर अपने चोरी करने वाले उपकरणो का प्रयोग कर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते है तथा चोरी किये गये वाहनो को आस पास के अन्य क्षेत्रो में छुपा देते है।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

एक अदद स्कूटी न0 स्कूटी पर रजि0 न0 DL8SAV6813 चे0न0 MB4JC448KB7068242 इंजन न0 JC44E5067510 बरामद होना

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त रंजीत का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	540/20	411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
2	0131117E	379 भादवि	एमवीथैप्ट दिल्ली	दिल्ली

अभियुक्त अनिल यादव का आपराधिक इतिहास

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	540/20	411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
2	0131117E	379 भादवि	एमवीथैप्ट दिल्ली	दिल्ली



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा ऑपरेशन निहत्था के तहत एक शातिर अभियुक्त को अवैध 315

बोर तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार- थाना विजय नगर पुलिस ने ऑपरेशन

निहत्था के तहत दिनांक 18.09.2020 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी शोएब उर्फ ओहदा को सजवान नगर जाने वाले कच्चे रास्ते पर थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1- शोएब उर्फ ओहदा पुत्र शाहिद, नि. रमजान होटल के पास, गली नं. 13, थाना कोतवालीनगर, गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोगों का विवरण

- 1- मु.अ.सं.1238/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजय नगर गाजियाबाद
- 2- मु.अ.सं. 1107/19 धारा 380 भादवि थाना फेस -3, गौतमबुद्धनगर
- 3- मु.अ.सं. 1214/19 धारा 379 भादवि थाना फेस -3, गौतमबुद्धनगर
- 4- मु.अ.सं. 1216/19 धारा 379 भादवि थाना फेस -3, गौतमबुद्धनगर
- 5- मु.अ.सं. 1226/19 धारा 380 भादवि थाना फेस -3, गौतमबुद्धनगर
- 6- मु.अ.सं. 1227/19 धारा 34,411,414 भादवि थाना फेस -3, गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण

- 1- एक अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस



थाना निवाड़ी पुलिस ने पीसीआर पर लाये गए अभियुक्त की निशादेही

पर घटना में प्रयुक्त चाकू किया बरामद - थाना निवाड़ी पुलिस द्वारा

मु0अ0सं0-196/2020 धारा 147/148/149/323/324/325/380/307/427/504/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त कुलदीप जगपाल सिंह निवासी ग्राम यूसुफपुर ईसापुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद को माननीय न्यायालय से स्वीकृतशुदा पी0सी0आर0 पर दिनांक 18.09.2020 को लाकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू नाजायज ओमबीर पुत्र रघुनाथ त्यागी के धान के खेत के सामाने गंगनहर पटरी राड पर जंगल ग्राम सौन्दा से बरामद किया गया।

उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-274/2020 धारा 25/4 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत हुआ है।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त न पूछताछ में बताया कि दि0 26.06.2020 को मैं व मेरे अन्य साथियों द्वारा स्वराज एन्क्लेव के पार्टनर निरंजन पोद्दार व उसके साथियों को लाठी, डण्डों, लोहे की रॉड व चाकू से जान से मारने की नीयत से प्रहार कर घायल कर दिया था। घटना के बाद हम मौके से भाग गये थे। चाकू को सौन्दा व पैंगा के बीच नहर पटरी के किनारे एक धान के खेत में छिपा दिया था जो आज बरामद करा दिया है।

पी0सी0आर0 पर लाया गया अभियुक्त-

1-कुलदीप जगपाल सिंह निवासी ग्राम यूसुफपुर ईसापुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त को दिनांक 18.09.2020 को पी0सी0आर0 पर लाकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू नाजायज ओमबीर पुत्र रघुनाथ त्यागी के धान के खेत के सामाने गंगनहर पटरी रोड पर जंगल ग्राम सौन्दा से बरामद किया गया

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

1-मु0अ0सं0-196/2020 धारा 147/148/149/323/324/325/380/307/427/504/506 भादवि थाना निवाड़ी गाजियाबाद

2-मु0अ0सं0-617/2020 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना मोदीनगर गाजियाबाद

3-मु0अ0सं0-274/2020 धारा 25/4 आयुद्ध अधिनियम थाना निवाड़ी गाजियाबाद



थाना लोनी क्षेत्र में नशीला पाउडर एल्प्राजोलम तस्करी करने वाली अभियुक्ता 100

ग्राम एल्प्राजोलम सहित गिरफ्तार- थाना लोनी पुलिस द्वारा एक अभियुक्ता श्रीमति ता उर्फ हवा उर्फ काली अम्मा W/O स्व0 भोला शर्मा R/0 बुद्ध सिंह मैमोरियल कालेज के पास अंसार विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष को 100 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम के साथ अंसार विहार खाली मैदान चौकी क्षेत्र डीएलएफ से दिनांक 18.09.2020 समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्ता ने बताया कि साहब मैं एल्प्राजोलम की पुड़िया बनाकर बेच ती हूँ जिससे मैं मुनाफा कमाकर अपना खर्चा चलाती हूँ। अभी मैं यह एल्प्राजोलम लेकर बेचने जा रही थी कि तभी आपने पकड़ लिया। अभियुक्ता का यह जुर्म धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट की हद को पहुंचता है।

अपराध कारित करने का तरीका (MODOUS OPERANDY):-

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्ता ने पूछने पर बताया कि मैं थाना लोनी क्षेत्र में नशीला पाउडर एल्प्रोजलम की पुडिया बनाकर बेचती हूँ जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0:-

श्रीमति गीता उर्फ हवा उर्फ काली अम्मा W/O स्व0 भोला शर्मा उम्र करीब 53 वर्ष R/0 बुद्ध सिंह मैमोरियल कालेज के पास अंसार विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 53 वर्ष।

अभियोगों का विवरण अभियुक्त कलीम-

मु0अ0सं0-783/2020 धारा 8/21 NDPS Act थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

100 ग्राम नशीला पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज बरामद



01 अभि0 को 270 नशीली गोलियों व 200 रू0 सहित किया गिरफ्तार-थाना सिहानी गेट

पुलिस द्वारा दि0 17.09.20 को अभि0 सुनील कुमार शर्मा पुत्र परशुराम शर्मा नि0 बी 66 पटेल नगर II थाना सिहानीगेट गा0बाद केसरी माता मन्दिर मुकन्दनगर के सामने से नशीली ALPRAZOLAM TABLETS IP 05MG BELCOLM गोलीयां 270 गोलिया के साथ समय 17.45 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

पूछताछ का विवरण-

दिनांक 17.09.20 को चैकिंग के दौरान थाना सिहानी गेट पुलिस टीम को सूचना मिली की एक व्यक्ति नशीली गोलियाँ लेकर कहीं बेचने की फिराक में जा रहा है। इस पर थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील उपरोक्त को केसरी माता मन्दिर मुकन्दनगर पर 270 अदद नशीली गोलियाँ Alprazolam के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से गोलियाँ रखने का कारण पूछा तो बताया कि मैं नशीली गोलियाँ बेचकर अपनी जीविका चलाता हूँ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1 अभि० सुनील कुमार पुत्र परशुराम नि० बी 66 पटेल नगर ॥ थाना सिहानी गेट गा० बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1 म०अ०स० 1480/20 धारा 8/21NDPS ACT

बरामदगी

270 गोलिया व 200/रुपये

